

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना  
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

41 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

21.06.2022

08.12.2022

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री मुरारी लाल कुमावत पुत्र श्री मदनलाल कुमावत एफ.बी.ओ. मैसर्स सागर डिपार्टमेन्टल  
स्टोर गोपी टॉवर के सामने झिलाई रोड निवाई जिला टोंक निवासी इन्द्रा कॉलोनी निवाई  
जिला टोंक

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थी स्वयं।

:-निर्णय:-

दिनांक 08.12.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.02.2022 को समय 03:31 पी.एम पर मैसर्स सागर डिपार्टमेन्टल स्टोर गोपी टॉवर के सामने झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. पर पहुँचा। वहाँ पर श्री मुरारी लाल कुमावत पुत्र श्री मदनलाल कुमावत मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुरारी लाल कुमावत ने स्वयं को मैसर्स सागर डिपार्टमेन्टल स्टोर गोपी टॉवर के सामने झिलाई रोड निवाई जिला टोंक राज. का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ 27 किलोग्राम धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose) प्लास्टिक के कट्टे में रखे हुये थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री मुरारी लाल कुमावत को फार्म नं. VA Form दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मुरारी लाल कुमावत व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose) वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 2 किलोग्राम खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नमूदा देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर करवाये।



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose) को अलग-अलग 500-500 ग्राम प्लास्टिक के चार साफ व सूखे डिब्बों में भरकर डिब्बे को ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3094 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर करायें तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3094 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छ प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/812 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0 एस0/957/एक्ट/2022/999 दिनांक 21.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए एवं जवाब नहीं देकर बहस की तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया धनिया पावडर खुला (Coriander Powder Loose) का नमूना जांच में कॉन्ट्रावेन (Contravene) व अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii), (v) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में



आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शारित रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 08.12.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0